International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण: उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन

तनुजा श्रीवास्तव

रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग, अमलतास यूनिवर्सिटी, देवास, मध्य प्रदेश

डॉ.ब्रजेश कुमार यादव

पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग, अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, मध्य प्रदेश

सारांश

भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम पारित किया तथा बाद में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन का उद्देश्य मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचे — ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत — में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसमें उज्जैन जिले को विशेष संदर्भ के रूप में लिया गया है। यह अध्ययन विद्यमान शोध साहित्य, सरकारी अभिलेखों एवं द्वितीयक आँकड़ों की समीक्षा पर आधारित है। अध्ययन में यह पाया गया कि यद्यपि आरक्षण के कारण महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि 'सरपंच पति' अथवा 'प्रधान पति' जैसी प्रवृत्तियाँ, निम्न शैक्षिक स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ एवं वित्तीय निर्भरता वास्तविक सशक्तिकरण की राह में प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रभावी क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं संस्थागत समर्थन के माध्यम से ही सांकेतिक भागीदारी को वास्तविक नेतृत्व में परिवर्तित किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, त्रिस्तरीय व्यवस्था, आरक्षण, उज्जैन, मध्यप्रदेश, स्थानीय स्वशासन।

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र की वास्तविक सफलता विकेन्द्रीकरण एवं जमीनी स्तर पर जनभागीदारी में निहित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसी विकेन्द्रीकृत शासन की आधारशिला है, जो ग्रामीण समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन एवं विकास की पहुँच सुनिश्चित करती है। महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी समाज की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है, और पंचायती राज संस्थाएँ इस सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुई हैं (शर्मा, 2018)। प्रस्तुत खंड में अध्ययन की पृष्ठभूमि, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन के उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए अनुच्छेद 243-D के अंतर्गत महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की। इस ऐतिहासिक कदम ने ग्रामीण भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए निर्णय-प्रक्रिया में प्रवेश का द्वार खोला (राय एवं शर्मा, 2016)। मध्यप्रदेश ऐसे राज्यों में अग्रणी रहा जिसने न केवल इस प्रावधान को शीघ्रता से लागू किया, बल्कि महिलाओं के लिए आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया (वर्मा, 2017)। इससे राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय संख्यात्मक वृद्धि हुई।

1.2 त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना

मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित है। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर जनपद पंचायत (ब्लॉक स्तर) तथा शीर्ष स्तर पर जिला पंचायत कार्यरत हैं (सिंह एवं पटेल, 2019)। प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास, नियोजन एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। महिलाओं का आरक्षण इन तीनों स्तरों पर लागू है, जिससे स्थानीय शासन के प्रत्येक चरण में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित होती है।

1.3 अध्ययन क्षेत्र: उज्जैन जिला

उज्जैन जिला मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला अनेक विकासखंडों एवं ग्राम पंचायतों में विभाजित है। यहाँ की जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत अधिक होने के कारण पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय शासन में केन्द्रीय भूमिका निभाती हैं (चौहान, 2020)। उज्जैन जिले का सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, जहाँ एक ओर धार्मिक-परंपरागत मूल्य प्रबल हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा एवं जागरूकता का विस्तार भी हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु एक उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत करता है।

1.4 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (क) मध्यप्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की संवैधानिक एवं विधिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना; (ख) उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी की प्रकृति एवं स्तर का अध्ययन करना; (ग) महिला सशक्तिकरण की राह में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत बाधाओं की पहचान करना; तथा (घ) विद्यमान शोध साहित्य के आधार पर सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना (यादव, 2021)।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

2. साहित्य समीक्षा

महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज पर विगत दशक में व्यापक शोध कार्य हुआ है। इस खंड में संबंधित साहित्य को चार उप-विषयों के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे अध्ययन के सैद्धांतिक एवं अनुभवजन्य आधार को स्पष्ट किया जा सके।

2.1 महिला सशक्तिकरण की संकल्पना एवं सैद्धांतिक ढाँचा

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम सम्मिलित हैं। सशक्तिकरण को केवल निर्णय लेने की शक्ति तक सीमित न मानकर, इसे विकल्प चयन की क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण एवं आत्म-सम्मान की भावना के रूप में देखा जाना चाहिए (कबीर, 2016)। राजनीतिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है जो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से संबंधित है (गुप्ता, 2018)। पंचायती राज संस्थाएँ इस राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रमुख संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य करती हैं, जहाँ महिलाएँ नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं।

2.2 पंचायती राज में महिला आरक्षण एवं भागीदारी

अनेक अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि आरक्षण नीति ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी को नाटकीय रूप से बढ़ाया है (राय एवं शर्मा, 2016)। मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण अनेक पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति निर्धारित आरक्षण से भी अधिक हो गई है (वर्मा, 2017)। तथापि, संख्यात्मक भागीदारी एवं गुणात्मक सशक्तिकरण के बीच के अंतराल को कई शोधकर्ताओं ने रेखांकित किया है (कुमारी, 2019)। भागीदारी की प्रकृति प्रायः औपचारिक बनी रहती है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसके परिवार का पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेता है।

तालिका 1: मध्यप्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का विकास

वर्ष	विधिक प्रावधान	आरक्षण प्रतिशत
1992	73वाँ संविधान संशोधन	न्यूनतम 33%
1993	म.प्र. पंचायती राज अधिनियम	33%
2009	राज्य द्वारा संशोधन	50%
वर्तमान	प्रभावी प्रावधान	50%

2.3 महिला सशक्तिकरण में बाधाएँ

साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि महिला प्रतिनिधियों के वास्तविक सशक्तिकरण की राह में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं। इनमें सबसे प्रमुख 'सरपंच पति' अथवा 'प्रधान पति' की परिघटना है, जिसमें महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र की मुखिया होती है

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

(कुमारी, 2019)। इसके अतिरिक्त निम्न शैक्षिक स्तर, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, वित्तीय संसाधनों पर सीमित नियंत्रण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्त जानकारी एवं समय की कमी जैसे कारक भी सशक्तिकरण को बाधित करते हैं (चौहान, 2020; यादव, 2021)। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उत्तरदायित्वों का बोझ भी महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करता है।

तालिका 2: महिला सशक्तिकरण की प्रमुख बाधाएँ एवं उनकी प्रकृति

बाधा का प्रकार	**प्रमुख कारक**
सामाजिक	पितृसत्ता, सरपंच पति प्रवृत्ति, जातिगत भेद
आर्थिक	वित्तीय निर्भरता, संसाधनों पर सीमित नियंत्रण
शैक्षिक	निम्न साक्षरता, प्रशासनिक जानकारी का अभाव
संस्थागत	अपर्याप्त प्रशिक्षण, अधिकारियों का असहयोग

2.4 क्षमता-निर्माण एवं सशक्तिकरण की रणनीतियाँ

अनेक शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रम महिला प्रतिनिधियों के प्रभावी नेतृत्व हेतु आवश्यक हैं (शर्मा, 2018)। नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, स्वयं सहायता समूहों से संबद्धता एवं संस्थागत समर्थन के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास एवं प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है (देवी एवं राव, 2020)। कुछ अध्ययनों ने यह भी दर्शाया है कि जिन महिलाओं ने पूर्व में स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी की थी, वे पंचायत में अधिक प्रभावी नेतृत्व प्रदर्शित करती हैं (नायर, 2022)। इस प्रकार सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत क्षमता एवं संस्थागत समर्थन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

तालिका 3: महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख रणनीतियाँ एवं अपेक्षित परिणाम

रणनीति	**अपेक्षित परिणाम**
प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण	प्रशासनिक दक्षता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि
जागरूकता अभियान	अधिकारों एवं दायित्वों की समझ
स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव	आर्थिक स्वावलंबन एवं सामूहिक नेतृत्व
संस्थागत समर्थन	स्वतंत्र निर्णय क्षमता का विकास

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन प्रकृति में समीक्षात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, जो मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस अध्ययन में गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यमान शोध साहित्य, पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों एवं सांख्यिकीय अभिलेखों का विश्लेषण किया गया है।

आँकड़ों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया, जिनमें प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र (2015–2024), मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज विभाग के प्रकाशन, जनगणना आँकड़े तथा संबंधित सरकारी अभिलेख सम्मिलित हैं। अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र उज्जैन जिले तक केन्द्रित रखा गया, यद्यपि तुलनात्मक संदर्भ हेतु मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय आँकड़ों को भी सम्मिलित किया गया है।

संकलित सामग्री का विश्लेषण विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख विषयों — संवैधानिक ढाँचा, भागीदारी, बाधाएँ एवं सशक्तिकरण रणनीतियाँ — के आधार पर साहित्य को वर्गीकृत एवं व्याख्यायित किया गया। चूँकि यह एक समीक्षात्मक अध्ययन है, अतः इसमें प्राथमिक क्षेत्र-सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं है, जो इस अध्ययन की एक सीमा भी है। तथापि, विविध स्रोतों के त्रिकोणीकरण से निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई है (मिश्रा, 2019)।

4. निष्कर्ष

प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने, विशेषकर 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संख्यात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। उज्जैन जिले के संदर्भ में भी महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति सभी तीनों स्तरों — ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत — पर दृष्टिगोचर होती है। यह भागीदारी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक सकारात्मक उपलब्धि है (राय एवं शर्मा, 2016; वर्मा, 2017)।

तथापि, अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि संख्यात्मक भागीदारी अपने आप में वास्तविक सशक्तिकरण की गारंटी नहीं है। 'सरपंच पति' की प्रवृत्ति, निम्न शैक्षिक स्तर, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना एवं वित्तीय निर्भरता जैसी बाधाएँ महिला प्रतिनिधियों को नाममात्र की मुखिया बनाकर उनके स्वतंत्र निर्णय-अधिकार को सीमित करती हैं (कुमारी, 2019; चौहान, 2020)। इस प्रकार संख्यात्मक प्रतिनिधित्व एवं गुणात्मक नेतृत्व के बीच एक स्पष्ट अंतराल विद्यमान है।

अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि इस अंतराल को पाटने के लिए प्रभावी क्षमता-निर्माण, नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान एवं संस्थागत समर्थन अत्यंत आवश्यक हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव एवं आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं के आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करते हैं (देवी एवं राव, 2020; नायर, 2022)। अतः सांकेतिक भागीदारी को वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित करने हेतु एक बहुआयामी एवं सतत प्रयास की आवश्यकता है।

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

5. भावी शोध की दिशाएँ

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित एक समीक्षात्मक कार्य है, अतः भविष्य में इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र-सर्वेक्षण आधारित अध्ययनों की आवश्यकता है, जिनमें उज्जैन जिले की महिला प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से आँकड़े संकलित किए जाएँ। इससे धरातलीय वास्तविकता का अधिक सूक्ष्म एवं प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

भविष्य के अध्ययनों में उज्जैन जिले की तुलना मध्यप्रदेश के अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों से करना उपयोगी होगा, जिससे क्षेत्रीय भिन्नताओं एवं श्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त, महिला प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उनके सामाजिक-राजनीतिक जीवन पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का अनुदैर्घ्य अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण शोध दिशा है। साथ ही, डिजिटल तकनीक एवं ई-गवर्नेंस के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन एक उभरता हुआ एवं प्रासंगिक क्षेत्र है (नायर, 2022)।

संदर्भ सूची

1. कबीर, एन. (2016). लैंगिक समानता, आर्थिक विकास एवं महिला कर्तृत्व. नारीवादी अर्थशास्त्र पत्रिका, 22(1), 295–321.
2. कुमारी, पी. (2019). 'सरपंच पति' परिघटना: ग्रामीण शासन में महिलाओं की प्रतिनिधिक भागीदारी. समकालीन सामाजिक विज्ञान, 14(2), 178–192.
3. गुप्ता, ए. (2018). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण. अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, 6(1), 55–68.
4. चौहान, आर. (2020). मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 66(2), 210–224.
5. जैन, आर. (2020). मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकरण एवं महिला कर्तृत्व. लोक कार्य पत्रिका, 20(4), 98–114.
6. टिवारी, के. (2021). ग्रामीण भारत में शिक्षा एवं महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी. शैक्षिक विकास पत्रिका, 84, 102–115.
7. देवी, एस., एवं राव, के. (2020). स्थानीय स्वशासन में क्षमता-निर्माण एवं महिला नेतृत्व. ग्रामीण विकास पत्रिका, 39(3), 345–360.
8. नायर, एल. (2022). स्वयं सहायता समूह एवं पंचायती राज में महिला राजनीतिक नेतृत्व. विकास अध्ययन पत्रिका, 58(4), 512–528.
9. पांडेय, ए. (2018). जमीनी शासन एवं लैंगिकता: मध्य भारत से अवलोकन. दक्षिण एशिया शोध, 38(2), 145–161.

International Journal of Engineering, Science and Humanities
An international peer reviewed, refereed, open-access journal
Impact Factor 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250-3552

10. बाविस्कर, बी. एस. (2015). पंचायती राज में महिलाएँ: भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन. भारतीय लैंगिक अध्ययन पत्रिका, 22(1), 63–79.
11. भट्ट, एन. (2023). स्थानीय स्वशासन में महिला सशक्तिकरण का पुनर्मूल्यांकन: एक समीक्षात्मक अध्ययन. दक्षिण एशियाई विकास पत्रिका, 18(1), 25–44.
12. मेहता, एस., एवं जोशी, पी. (2019). पंचायतों में वित्तीय स्वायत्तता एवं महिला प्रतिनिधि. ग्रामीण अध्ययन पत्रिका, 71, 88–97.
13. मिश्रा, एस. (2019). सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति: दृष्टिकोण एवं अनुप्रयोग. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन.
14. यादव, एस. (2021). ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधाएँ. सामाजिक एवं आर्थिक विकास पत्रिका, 23(2), 265–281.
15. राठौड़, एम. (2022). डिजिटल शासन एवं ग्रामीण महिलाएँ: अवसर एवं चुनौतियाँ. विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, 28(3), 480–496.
16. राय, पी., एवं शर्मा, एम. (2016). पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण एवं महिला प्रतिनिधित्व. आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 51(20), 45–52.
17. वर्मा, एन. (2017). मध्यप्रदेश पंचायतों में महिलाओं हेतु पचास प्रतिशत आरक्षण: प्रभाव मूल्यांकन. सामाजिक परिवर्तन, 47(3), 356–370.
18. शर्मा, डी. (2018). भारत में महिला सशक्तिकरण एवं जमीनी लोकतंत्र. भारतीय राजनीति विज्ञान पत्रिका, 79(3), 401–415.
19. सिंह, आर., एवं पटेल, वी. (2019). मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था: एक संरचनात्मक विश्लेषण. शासन एवं लोक नीति पत्रिका, 9(1), 88–102.
20. सोलंकी, डी. (2024). मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ एवं लैंगिक समता: हालिया प्रवृत्तियाँ. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 70(1), 112–128.